प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये .

संख्या 00991/2020-2021

दिनांक 21/09/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/FAI/05755/2020-2021   पत्रावली संख्या: F-32631   दिनांक: 2010-2011

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कमला देवी विमला सिंह ग्रामोदय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान।, ग्राम व पो0 रामपुर सर्था तहसील सदर जिला अयोध्या।, अयोध्या, 224201 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-1034/2010-11 दिनांक-20/09/2010 को दिनांक-20/09/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(DURGESH TRIPATHI)
97B8D6EAF2C0956231651316149B7B1CC24F46BB
Date: 21/09/2020 4:01:16 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-21/09/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु. 5

Rs. 5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 572256

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक समितियां
फैजाबाद-उ० प्र०

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

23/03/10

कमला देवी विमला सिंह ग्रामोदय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान
फैजाबाद रजि० = 32631

स्मृति-पत्र

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : कमला देवी विमला सिंह ग्रामोदय शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान
2. संस्था का पता : ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तहसील सदर जिला फैजाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :

1. शिक्षा, ललित कला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जानकारी लोगों तक पहुँचाना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।
2. समाज के वृद्ध, असहाय, निर्धन, अनाथ लोगों के लिए वृद्धाश्रम, अनाथालय, बालवाड़ी आदि की व्यवस्था करना।
3. शिक्षा के विकास हेतु प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षण संस्थाएं खोलना व उनका निःशुल्क संचालन करना।
4. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार संगोष्ठी, सेमिनार प्रदर्शनी आदि के द्वारा उत्तम नैतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्यों का प्रचार–प्रसार करना एवं बढ़ावा देना।
5. बालक एवं बालिकाओं को उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी भाषाओं का समुचित ज्ञान कराना।
6. बालक–बालिकाओं को कृषि, विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि वर्ग के साथ शिक्षा प्रदान करना।
7. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, त्वरित शिक्षा,कम्प्यूटर शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा,प्रौद्योगिक शिक्षा,औद्योगिक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा,आधुनिक शिक्षा, सतत् शिक्षा आदि का निःशुल्क संचालन करना।
8. समाज में प्रचलित विभिन्न कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, छूआछूत, नशावृति इत्यादि के उन्मूलन हेतु यथा संभव प्रयास करना।
9. दैवीय आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अग्निकांड, भूकम्प, आदि से प्रभावित लोगों की सहायता करने का प्रयास करना।
10. ग्रामीण अंचल के लोगों के स्वास्थ्य हेतु योग और प्राकृतिक योग चिकित्सा, खेलकूद इत्यादि का समय–समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
11. ग्रामीण स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास, तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन करना तथा कम लागत से आवास निर्माण सम्बंधी सरकारी सहयोग की नवीनतम जानकारी ग्रामीण अंचल की जनता तक पहुचाना।
12. अल्पसंख्यक,असहाय,नेत्रहीन,विकलांग एवं अनाथ निर्धन छात्रों के लिए शासन–प्रशासन द्वारा जनहित व कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वितकरना।
13. विकलांगों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना एवं विकलांग कृत्रिम अंगों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में सहयोग प्रदानकरना।
14. कृषकों विशेष रूप से छोटे, सीमान्त और महिला कृषकों में जैविक खादों जैसे वर्मी कम्पोस्ट,काऊपिट पैट, नैडप एवं एकीकृत कीटनाशी के प्रति मृदा एवं पर्यावरण संतुलन हेतु जागरूकता पैदा करना, कृषि संसाधन जुटाना इसके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

23/03/10

15. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण,सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान,स्वच्छ पेयजल,नाली,साफ, सफाई आदि कार्यक्रम एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में योगदान प्रदान करना।

16. समाज के युवक/युवतियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, शिल्प कला, हस्तकला, दस्तकारी, ललित कला, संगीत, नृत्य, थियेटर, अभिनय, फोटोग्राफी, क्रियेटिव राइटिंग, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाईनिंग, चिकन, जरी, डालमेकिंग, फलावार मेकिंग, कम्पयूटर, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिन्टिंग, स्क्रीन प्रिन्टिग, आफसेट प्रिन्टिंग पेन्टिग वाल पेन्टिंग, इन्टीरियर डिजाईनिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना।

17. शिक्षा की आवश्यकता नारी शिक्षा एवं महिलाओं के लिए समान अधिकार जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाने हेतु प्रयास करना।

18. समाज के निर्धन वर्ग को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों से अवगत कराना तथा उनके स्वस्थ्य जीवन लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

19. घातक संक्रामक बीमारियों जैसे टी.बी., एड्स, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह, फाइलेरिया, पोलियों, हेपेटाइटिस आदि महामारी के प्रति लोगों को जागरूक व टीकाकरणकराना।

20. महिलाओं के कल्याण हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना।

21. आर. सी. एच0 कार्यक्रम सिफ्सा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को सम्पादित करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था करना।

22. जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक बनौषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारें में लोगों को जानकारी देना।

23. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,नाबर्ड, कपार्ट आवार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, इवाकारा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, आक्सकेम इण्डिया केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास एवं सैनिटरी मार्ट कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार व संचालन करना।

24. संस्था द्वारा ग्राम उद्योगों की स्थापना करना व प्रशिक्षण सहित व्यवस्था करना व समाज के नवजवानों को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वालम्बन की भावना जाग्रत करना।

25. ग्रामीण किसानों, मजदूरों एवं कारीगरों को ग्रामोद्योग सम्बंधी तकनीकी जानकारी दिलवाना तथा ग्रामोद्योग प्रशिक्षण दिलाकर उनमें आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

26. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा संचालित ग्रामोद्योग की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

27. ऊसर भूमि सुधार आदि सम्बन्धी कार्यकमों का संचालन करने का प्रयासकरना।

28. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बंधुवा मजदूर उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, मद्य निषेध, महिलाओं को समानता का अधिकार, पंचायती राज भारत सरकार की योजनाओं के प्रसार–प्रचार के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

29. समाज के आम लोगों में सूचना के अधिकार (आर0टी0आई0), शिक्षा के अधिकार(आर0टी0ई0), मानव अधिकार (ह्यूमन राइट्स), घरेलू महिला हिंसा अधिनियम आदि के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा इसके लिए शिविर आदि की समय–समय पर व्यवस्था करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
23/08/10

कमला देवी विमला सिंह ग्रामोदय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान

ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर जिला फैजाबाद

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची

वर्ष 2016-2017

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री कासीराम	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर फैजाबाद	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री पद्मनाभ सिंह पुत्र स्व.नरवदेश्वर सिंह	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा पूरा कलंदर जिला फैजाबाद	प्रबन्धक	कृषि
3.	श्री अंकित पुत्र श्री कपिल देव	ग्राम वपो.हलियापुर सुलतानपुर	सचिव	कृषि
[illegible]	श्रीमती आशा सिंह पुत्री सन्तोष बहादुर सिंह	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर फैजाबाद	कोषाध्यक्ष	गृहणी
5.	श्रीमती वन्दना पत्नी श्री संदीप	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर फैजाबाद	सदस्य	गृहणी
6.	श्री रामसुमेर पुत्र श्री जगराम	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर फैजाबाद	सदस्य	कृषि
7.	श्रीमती ज्योति सिंह पत्नी श्री दीपक सिंह	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर फैजाबाद	सदस्य	गृहणी
8.	श्रीमती बबली पत्नी श्री अनिल कुमार	ग्राम नारा पो.अदनपुर अमेठी	सदस्य	गृहणी

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ0 प्र0)
09-08-16

Vandana

Asiy..

अंकित

प्रधान काजी

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु. 5 Rs. 5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19AA 572257

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक समितियां फैजाबाद-उ. प्र.

कमला देवी विमला सिंह ग्रामोदय
शिक्षण - प्रशिक्षण संस्थान
फैजाबाद सं. = 32631

नियमावली

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
23/08/10

नियमावली

1. संस्था का नाम : कमला देवी विमला सिंह ग्रामोदय शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान

2. संस्था का पता : ग्राम व पो.रामपुर सर्था तहसील सदर जिला फैजाबाद

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 1000/रूपया नकद या इतने ही मूल्य को संपत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/रूपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

5 <u>सदस्यता की समाप्तिः</u>

1 मृत्यु हो जाने पर ।
2 पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3 संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।
4 अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर ।
5 नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
6 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
7 लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर।

6 संस्था के अंग : 1 साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति ।

7 साधारण सभा :

गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी परन्तु स्थगित गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक में गणपूर्ति का प्रतिबन्ध न होगा ।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म सोसाइटियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
23/08/10

वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी ।

<u>साधारण सभा के कर्तव्य</u>:
1 प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2 संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4 संस्था के नियमों में संशोधन प्रकिया करना।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी का गठन होगा, जिनमे अध्यक्ष एक,प्रबन्धक एक,सचिव एक,कोषाध्यक्ष एक,तथा 04 सदस्य सहित कुल संख्या 08 होगी।

बैठके : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहूत की जा सकती है ।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः दुबारा बुलाई गई बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :
1 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
2 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

9 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष :
1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
23/09/10

प्रबन्धक :

1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
3. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
4. कर्मचारियों/अध्यापकों को नियुक्ति पदोन्निति एवं सेवामुक्ति करना।
5. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
6. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
7. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
8. आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।
9. समस्त संस्थाओं/एंजेसियों/विभाग/ मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रपत्रों, लेखो–विलेखों पर हस्ताक्षर करना।
10. संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
11. किसी भी बैंक से संस्था के विकास हेतु समय समय पर ऋण प्राप्त करना।
12. चल एवं अचल संपत्ति को देख–रेख व सुरक्षा करना।

सचिव :

1. संस्था के बैठकों की सूचना प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।
2. बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाना एवं उसे लिपिबद्ध करना।
3. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
4. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
5. संस्था का कार्यालयी प्रबंधं देखना।

कोषाध्यक्ष :

1. आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
3. सदस्यों से सदस्यता शुल्क, चंदा, दान आदि प्राप्त करना तथा उसकी यथावधि रसीद देना।

10 संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया साधारण सभा के 2/3सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11 संस्था का कोष

संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
23/09/10

12 संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13 संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा होने वाली पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

14 <u>संस्था के अभिलेख</u> :

1 सदस्यता रजिस्टर 2 कार्यवाही राजिस्टर 3 सूचना/एजेन्डा रजिस्टर

4 लेजर–कैश बुक आदि

15 संस्था के विघटन एवं विघटित संपत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा [illegible] के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 14/9/10

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
23/05/10

5\. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुरूप कार्यभार सौपे गये हैं।

क्र.सं.	नाम–पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री कासीराम	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर जिला फैजाबाद	अध्यक्ष	कृषि
2	श्री नरवदेश्वर सिंह पुत्र स्व.श्री भवानीभीख सिंह	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर जिला फैजाबाद	प्रबन्धक	कृषि
3	श्रीमती छंगा पत्नी श्री रामसुमेर	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर जिला फैजाबाद	सचिव	गृहणी
4	श्रीमती आशा सिंह पत्नी श्री पद्मनाम	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर जिला फैजाबाद	कोषाध्यक्ष	गृहणी
5	श्रीमती वन्दना पत्नी श्री संदीप	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर जिला फैजाबाद	सदस्य	गृहणी
6	श्री रामसुमेर पुत्र श्री जगराम	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर जिला फैजाबाद	सदस्य	कृषि
7	श्री कासीराम पुत्र श्री भवानीफेर	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर जिला फैजाबाद	सदस्य	कृषि
8	मो.रफीक पुत्र श्री शहादत अली	ग्राम व पो.रामपुर सर्धा तह.सदर जिला फैजाबाद	सदस्य	कृषि

(6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था उपरोक्त को स्मृति–पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत समिति को पंजीकृत कराना चाहते है :–

दिनांक 12/9/10 सत्य प्रतिलिपि सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
23/09/10

चन्द्रकला
छंगा
Asha
रामसुमेर
कासीराम
Vandana
मो०रफीक
Narv